कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश
17—न्यू बेरी रोड.,डालीबाग,लखनऊ।

पत्र संख्याः— 28/17/सॉख्यकीय /दिनांक 29-08- 2017

समस्त गन्ना निरीक्षक एवं
सहायक चीनी आयुक्त (नाम से)

विगत सत्रों में चीनी मिलों व उनके गन्ना क्रय केन्द्रों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर समय से कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के कारण एक ओर जहॉ निरीक्षण का महत्व समाप्त हो जाता है,वही दूसरी ओर अनियमितता बरतने वाले कर्मियों का मनोबल भी बढता है। अतः इस संबध में निम्नांकित निर्देश दिये जाते है कि पेराई सत्र 2017—18 में कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

चीनी मिल गेटः—

1. चीनी मिल गेट पर गन्ने की गाड़ियों के लिए बने यार्ड का निरीक्षण चीनी मिल चलने से पूर्व कर लिया जाये तथा **यार्ड से सम्बन्धित सभी सुविधाओं तथा पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाऐ**। पायी गयी अनियमितताओं का उल्लेख विधिवत निरीक्षण पत्र पर अंकित किया जाये एवं उनका निराकरण भी करा लिया जाये। उक्त निरीक्षण की एक—एक प्रति अध्यासी, आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त को भेज दिया जाये तथा चीनी मिल गेट पर मानक के अनुरूप गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों के जानवरों हेतु भी पर्याप्त क्षमता की नांद में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाये। वाहय क्रय केन्द्रों पर हैण्ड पम्प चालू हालत में रखे जाये। वाहय केन्द्रों पर तथा मिल यार्ड के अन्दर सड़को को दुरूस्त रखा जाये। मिल यार्ड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखी जाये तथा शेड पर्याप्त मात्रा में बनवाया जाये। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त सम्पादित करेंगे तथा मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराकर उसकी विस्तृत रिपोर्ट गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करें।
2. चीनी मिल गेट तथा वाहय गन्ना क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध रहने वाली निरीक्षण पंजिका के पृष्ठ (प्रत्येक चार प्रतियों में) गन्ना निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जायेगें तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित होगा। उक्त निरीक्षण पंजिका ए—4 साइज पर मुद्रित करायी जायेगी।निरीक्षण पंजिका का